न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/495

1. देशराज आयु 55 वर्ष ।
2. महेन्द्र आयु 50 वर्ष ।
3. ओमप्रकाश आयु 47 वर्ष पिसरान ग्यारसीलाल जातियानर मीणा निवासी दमदमा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मृतक नारायण आयु 75 वर्ष आत्मज छोगा जी जाति मीणा निवासी दमदमा जरिये कायममुकामान – (नाम तर्क) :–
2. मलकराज आयु 55 वर्ष ।
3. उम्मेद सिंह आयु 43 वर्ष ।
4. नोरतमल आयु 41 वर्ष ।
5. बाबूलाल आयु 39 वर्ष
6. राजेश आयु 37 वर्ष । पिसरान श्री नारायण जाति मीणा निवासी दमदमा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. श्रीमती कंवरी बाई बेवा नारायण उर्फ रामनारायण जाति मीणा निवासी दमदमा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांकः 10.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम खजूर का नला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 34 रबा 09 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 36 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 136 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 05 बिस्वा कुल 07 किता की कुल रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थीगण का अपनी कृषि भूमियों पर आने–जाने हु रास्ता बना हुआ है जिस पर होकर प्रार्थीगण अपने कृषि उपकरण व साधन उक्त रास्ते से हाकर निकालता है। उक्त रास्ता पुश्तैनी था जो अप्रार्थी क्रम 1 व अप्रार्थी क्रम 7 के खाते की भूमियों पर होकर गुजरता है । अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को हांक जोत कर बन्द कर दिया है और प्रार्थीगण के खेत पर आने–जाने के लिए रास्ते को पत्थरों की दीवार बनाकर बन्द कर दिया है । प्रार्थीगण की भूमि पर आने–जाने हेतु मौके पर विद्यमान रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ता बना हुआ है जो अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी क्रम 07 के खाते की भूमियों पर होकर गुजरता है उसमें बनाये हुए रास्ते को बहाल कराया जावे उसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे उक्त घोषित रास्ते की तरमीम नक्शें में अंकित करवायी जावे । प्रार्थी उक्त रास्ते पर आने वाली अप्रार्थीगण की भूमियों का मुआवजा नियामानुसार अदा करने को तैयार है ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 से 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.06.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2018 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी किन्तु दिनांक 12.06.2018 को रेस्पोडेन्ट से जवाब लेकर उक्त प्रार्थना पत्र का लोक अदालत में निस्तारण कर दिया । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई विधिक राजीनामा ही पेश किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहरा और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसे लो अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ह कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपीलान्ट के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नह है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है जिसमें अपीलान्ट प्रार्थी भी सहखातेदार है । आराजी का विभाजन अभी नहीं हुआ है । सहखातेदारी की आराजी में एक सहखातेदार धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते । कुछ सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है । प्रार्थना पत्र प्रार्थी मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्ट ने धारा 251 ए के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया है और खसरा नम्बर 135, 136, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 224, 225 एवं 226 में रास्ता कायम करने की प्रार्थना की । प्रार्थना पत्र के साथ जो नकल जबान्दी पेश की गई है वो खसरा नम्बर 34, 35, 36 128, 129, 130, 131 की है|जिन खसरा नम्बरान से रास्ता कायम करने की प्रार्थना की गई है उनकी नकल जमाबन्दी पत्रावली पर संलग्न नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुगण के आधार पर निर्णय पारित करना अनिवार्य होता है ।

12. रेस्पोडेन्ट ने यह भी आपत्ति की है कि जिस आराजी में से रास्ता कायम करने की प्रार्थना क जाती है उसमें प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है परन्तु पत्रावली पर इन खसरा नम्बरान की कोई नकल जमाबन्दी पेश नहीं की गई है जिससे इस स्टेज पर यह प्रमाणित नहीं हो पाया है कि जिस आराजी में से रास्ता कायम करने की प्रार्थना की गई है उसमें प्रार्थी अपीलान्ट सहखातेदार है अथवा नहीं । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय का आधार दिनांक 20.10.2016 की पटवारी हल्क की रिपोर्ट को भी माना गया है जबकि धारा 251 ए के प्रार्थना के निस्तारण हेतु आईएलआर से नीचे के स्तर के अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकती ।

13. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा